

चैक लिस्ट प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा०मु०घो०सं०-811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से ग्राम क्वैराली तक मोटर मार्ग के निर्माण (वास्तविक लम्बाई 1.825 किमी०) में प्रस्तावित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव में चेक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र लगाये गये हैं।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा



अधिकांसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम — मा0मु0घो0सं0-811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से ग्राम क्वैराली तक मोटर मार्ग का निर्माण। (वास्तविक लम्बाई 1.825 किमी०)

2-प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल है (हे० में)

आरक्षित वन भूमि — 1.3275 हे०

सिविल एवं सोयम वन भूमि — 0.0900 हे०

योग:- =1.4175 है०

निजि भूमि 0.225 हे०

3-प्रस्तावक विभाग का नाम- निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

4-वन प्रभाग का नाम- सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

5-प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है- हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है- हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप भाग -1,2 व3

के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है- हाँ/नहीं

8-क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक

व स्थान भरा गया है- हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरीहाली का घनत्व दर्शाया गया है- हाँ/नहीं

10-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/
प्रमाण पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं

11-बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण
प्रमाण पत्र संलग्न है। हाँ/नहीं

12-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया- समरेखन नं० 2 में वृक्षों की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही थी, एवं लम्बाई भी अधिक मात्रा में आ रही थी, जिससे वृक्षों का पातन अधिक मात्रा में करना पड़ रहा था इसलिए प्रस्तावित समरेखन को ही लिया गया, जिसमें कम से कम प्रभावित हो रहे हैं जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य हैं।

13-समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। हाँ/नहीं

14-क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है हाँ/नहीं

15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। हाँ/नहीं

16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। हाँ/नहीं

17-प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस-पास

रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है

18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है

20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है।

21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है-(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्ण में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें।)

22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि में अलग-2 रंगों से भरा गया है-

23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है-

24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है-

25-यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी की गयी अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं-

27-वैकल्पिक समरेखनों को निरस्त करने का कारण (विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) प्रस्तावित समरेखन के अलावा अन्य वैकल्पिक समरेखन पर भी सर्वेक्षण किया गया। वैकल्पिक समरेखन में ग्रामीण जनता को आपत्ति थी तथा जनसंख्या भी कम लाभान्वित हो रही थी, इस सर्वेक्षण में एच0पी0 बैंड अधिक मात्रा में आ रहे थे जिस कारण वैकल्पिक समरेखन को निरस्त कर प्रस्तावित समरेखन को ही चुना गया।

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) (प्रकरण 5 हे0 से कम का है) ला.नं. 11/81

29-मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है-

30-मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है-

अथवा

मलुवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है-

31-राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों को प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है-

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छायाप्रतियां संलग्न की गयी है तो क्या वे सत्यापित है

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है-(प्रकरण निशुल्क हस्तान्तरण का है)

34-वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

प्रस्तावित मार्ग नया है।

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण /पत्र सूचना संलग्न कर दी गयी है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.

अ.मो.डा.

अधीनस्थ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
अ.मो.डा.